

आवंटनादेश

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव, पटना ।

पटना, दिनांक:- 11-9-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध
-मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण
(विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2812 दिनांक-16.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत, 53-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विषयशीर्ष-0108.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान की स्थापना हेतु ₹ 10,00,00,000/- (₹ दस करोड़) मात्र का आवंटन श्रमायुक्त के सचिव, पटना को किया जाता है ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
- यह आवंटन राज्य योजना मद से संबंधित है ।
- श्रमायुक्त के सचिव इस राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगें ।

विश्वासभाजन
गोपाल मीणा
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-303/2017 श्र0सं0:-

68

पटना, दिनांक 11-9-17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

गोपाल मीणा
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-303/2017 श्र0सं0:-

68

पटना, दिनांक 11-9-17

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2(सरकार पक्ष)/लेख शाखा(श्रम पक्ष)/ प्रशाखा-4 (श्रम पक्ष)/ बजट शाखा, प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-04(श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा ।

गोपाल मीणा
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।